न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री के0सी0 जैन

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2433—एक/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06—11—2001 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 117/अपील/1998—99.

.....

1— अंगद तनय चिन्तामणि
2— कामता (मृतक) वारिसान—
1. रामजश पुत्र स्व0 कामता
2. रामानुज पुत्र स्व0 कामता
3. सुग्रीव प्रसाद पुत्र स्व0 कामता

निवासीगण—ग्राम केसौरा, तहसील अमरपाटन
जिला—सतना, म0प्र0
3— रामकृपाल
4— रामखेलावन पुत्रगण नर्मदा मुडहा
ग्राम केसौरा, तहसील अमरपाटन
जिला—सतना, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— जगन्नाथ
2— काशी
3— हरछाठी, पुत्रगण विरई मुड़हा,
निवासीगण— ग्राम केसौरा, तहसील अमरपाटन
जिला—सतना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री, मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 28/07/16 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/अपील/1998—1999 में पारित आदेश दिनांक 06—11—2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम किसौरा की विवादित भूमि जिसका सर्वे क्र0 239 रकबा 3.09 एवं 207 रकबा 1.10ए0 पर कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार

वृत्त मौहारी कटरा के न्यायालय में संहिता की धारा 115/116 के तहत आवेदन पेश किया गया । नायब तहसीलदार मौहारी कटरा में प्ररकण क्रमांक 17/अ–6–अ/97–98 दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 28.03.98 को प्रस्तुत आवेदन–पत्र स्वीकार किया गया। उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन, सतना के समक्ष पेश किया गया जो प्र0 क्र0113/अ–6–अ/अपील/97–98 में पारित आदेश दिनांक 29.01.99 को अनावेदकगण की अपील विधि विपरीत होने से अस्वीकार की गई । आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.01.99 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । आयुक्त न्यायालय में विधिवत प्र0क्र0 117/अपील/98–99 पंजीबद्ध किया गया और आदेश दिनांक 06.11.2001 से अनुविभागीय अधिकारी सतना के द्वारा पारित आदेश को विधिसंगत न मानते हुये निरस्त किया गया और अनावेदकगण की अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 06.11.2001 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि विवादित आराजी नं0 239 जो मध्यप्रदेश शासन सिंचाई विभाग द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदकगण द्वारा लगान में प्राप्त कर व हिस्सा बराबर कब्जा दखल किये है, जिसकी प्रविष्टियां शासकीय अभिलेखों में वर्ष 1965–66 तक अंकित है तथा 1996–97 व 1997–98 के वर्ष में हल्का पटवारी द्वारा आवेदकगण का नाम काटकर अनावेदकगण का कब्जा इन्द्राज किया और उसी गलत प्रविष्टी के सुधार हेतु आवेदकगणों द्वारा आवेदन किया गया । जिसे अधीनस्थ न्यायालया द्वारा अधिकार का अजृन किया जाना मान कर आदेश पारित किया है, जो उचित नहीं है । आवेदकगण का आवेदन दिनांक 26.01.1998 को तहसीलदार मौहारी कटरा के तहसील प्रांगण में सादे आवेदक–पत्र के रूप में दी गई थी जिस पर जांच की कार्यवाही शुरू की गई तथा पटवारी से प्रतिवेदन व मौके का पंचनामा प्राप्त कर दो महीने बाद यानी कि दिनांक 28.03.98 को आदेश पारित किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदन–पत्र देने की तिथि को ही सार्वजनिक अवकाश गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के दिवस की कर्यवाही मान कर पूर्ण आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त किया है। आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क में यह भी मातहत अदालत ने सिविल वाद क्र0 98अ/98 में पारित आदेश दिनांक 27.04.98 को भी आधार मान कर आदेश पारित करने में भूल की है, जबकि उक्त कथित आदेश विविध अपील क्र0 22/98 आदेश दिनांक 28.09.99 के द्वारा उक्त आदेश अपास्त किया जा चुका है फिर भी उसे अंतिम आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दर्ज करने हेतु संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र दिनांक 26.01.98 को अर्थात् गणतंत्रता दिवस सार्वजनिक अवकाश के दिन पेश किया गया था और विचरण न्यायालय ने दिनांक 26.01.98 को प्रकरण ग्राह्य कर लिया । सार्वजनिक अवकाश के दिन प्रकरण प्रचलित करने का कोई औचित्य नहीं था, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण ग्राह्य किया गया, जो संदिग्ध प्रतीत होती है । मैंने नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि नायब तहसीलदार ने आदेश संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पारित किया है या संहिता की धारा 116 के अंतर्गत पारित किया है यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता । चूँकि संहिता की धारा 115 के प्रावधान के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही और धारा 116 के प्रावधान के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही दोनों अलग–अलग है । संहिता की धारा 115 एवं 116 के प्रावधान के अंतर्गत त्रुटियां सुधार किया जा सकता है न कि नवीन प्रविष्टि की सृजन नहीं किया जा सकता, जबकि नायब तहसीलदार ने उक्त आदेश के जरिये नवीन प्रविष्टि का सृजन कर दिया है । जो उचित नहीं है । क्योंकि "रेवेन्यु निर्णय 2012 पृ0क्र0 380 में धारा 115 के अंतर्गत उल्लेखित किया है कि यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किए गए भू–अभिलेखों में गलत या कि अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक लिखित सूचना देने के पश्चात, संबंधित व्यक्तियों से ऐसी पूछताछ करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे उसमें आवश्यक परिवर्तन लाल स्याही से किए जाने के निर्देश देगा" । संहिता की धारा 116 के अंतर्गत शुद्धीकरण तहसीलदार की स्वप्रेरणा से ही किया जा सकता है, किसी पक्षकार के आवेदन पर नहीं किया । अतः इन दोनों धाराओं का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि नायब,तहसीलदार मौहारी कटरा ने जो आदेश पारित किया है वह विधिसंगत न होने से निरस्त किया जाता है ।

6/ मेरे द्वारा मूल प्रकरण के साथ संलग्न विभिन्न राजस्व अभिलेखों की प्रतियों का अवलोकन किया गया जिसमें यह प्रमाणित होता है कि अनावेदकगण वादग्रस्त भूमि पर समय–समय पर काबिज रहे है । ऐसी हालात उन्हें नोटिस देकर पक्ष समर्थन का अवसर देना चाहिये था, जो नायब

तहसीलदार ने नहीं किया है । मैं यहॉ अनावेदकगण के तर्क से सहमत हूँ । प्रस्तुत अभिलेखों की प्रतियों में अनावेकदगण ने यह भी दर्शाया है कि वादग्रस्त भू–खण्डों के सन्दर्भ में उन्होंने सिविल न्यायालय में सिविल वाद क्रमांक 98अ/98 दायर किया था, जिसमें दिनांक 27.04.1998 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि सिविल वाद के अंतिम निराकरण तक अनावेदकगण के अधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न किया जावे । अनावेदकगण ने इस आदेश की छायाप्रति अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण के साथ संलग्न है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में इस बिन्दु पर ध्यान ही नहीं दिया है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपने आदेश दिनांक 06.11.01 से अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील का आवेदन स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.98 एवं अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.99 विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 06.11.2001 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है । आवेदक के द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर